ऑटोपार्ट्स का नकली सामान बेचने वाले दो दुकानदारों पर केस दर्ज

ऑटोपार्ट्स बनाने वाली ब्राडेंड कंपनी के नाम से नकली सामान बेचने वाले 2 दुकानदारों पर कंपनी अधिकारियों ने कार्रवाई करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

शहर पुलिस टीआई वीडी जोशी ने बताया ऑटोपार्ट्स बनाने वाली बोस कंपनी नई दिल्ली के प्रबंधक सतीश जाट ने सूचना दी थी कि उनकी कंपनी के नाम का नकली सामान दुकानों से बेचा जा रहा है। कंपनी अधिकारी ने चौपाटी क्षेत्र में भारमल मशीनरी के मुफज्जल हुसैन बोहरा व कैलादेवी मशीनरी के भोजराज सिंह परिहार की दुकान से बोस कंपनी के नकली पार्ट्स जब्त किए। डीजल की मशीनों व वाहनों में उपयोग किए जाने वाले 21 डिलेवरी वाल्व, 12 एलीमेंट, 31 नोजल सहित करीब 30 हजार का माल शामिल हैं। पुलिस ने सामान जब्त करवाकर दोनों दुकानदारों पर कापीराईट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया हैं।

जावरा में नकली ऑटोपार्ट्स का धंधा

कंपनी के मैनेजर जाट ने बताया नकली माल आधे से भी कम कीमत में खरीद लेते हैं। कंपनी के एमआरपी रेट में बेच देते हैं। जावरा में नकली पार्ट्स का बड़ा करोबार हैं। आगे और दुकानदारों को पकड़ेंगे।

Source: https://www.bhaskar.com/local/mp/ratlam/jaora/news/case-filed-against-two-shopkeepers-selling-counterfeit-goods-of-autoparts-129711526.html